23

वेतन वृद्धियाँ
(INCREMENTS)

सामान्य

मूल नियम 24 के अंतर्गत समयमान में वेतन वृद्धि स्वाभाविक रूप से (as a matter of course) निकाली जाना चाहिये, जब तक कि वह रोकी न गई हो अर्थात् अब मंजूरी की आवश्यकता नहीं है।

1. वेतन वृद्धि माह की पहली तारीख से

शासकीय कर्मचारियों को उनके पद के वेतनमान में प्राप्त होने वाली वार्षिक वेतन वृद्धि सामान्य नियमों तथा तत्सम्बन्धी आदेशों के अन्तर्गत जिस महीने की किसी तारीख को वस्तुतः देय हो, उसी महीने की पहली तारीख से स्वीकृत की जावेगी।

असाधारण अवकाश तथा पदोन्नति के कारण जिन प्रकरणों में वेतन वृद्धि का दिनांक परिवर्तित होता हो उन प्रकरणों में भी सामान्य नियमों तथा तत्सम्बन्धी आदेशों के अधीन अगली वेतन वृद्धि देय होने पर जिस महीने में वह वेतन वृद्धि देय हो उसी महीने की पहली तारीख से ही उपरोक्तानुसार स्वीकृत की जाना चाहिये।

उपरोक्त आदेश दिनांक 1-9-1974 से प्रभावशील है।

[वित्त विभाग क्रमांक डी-1010/नि-1/चार, दिनांक 10-9-1974]

2. वेतन वृद्धि के लिए गणना में ली जाने वाली सेवा अवधि

(1) समयमान वाले पद पर किया गया संपूर्ण सेवाकाल उस समयमान में वेतन वृद्धि के लिए गणना में लिया जाता है।

(2) शासकीय सेवक जो अपने संवर्ग में स्थाई पद धारण कर रहा है और किसी अन्य पद पर परिवीक्षा पर नियुक्त किया गया हो, उसके द्वारा की गई सेवा उस पद में वेतन वृद्धि के लिये जोड़ी जायेगी।

(3) एक पद पर स्थानापन्न रहते हुए किसी अन्य पद पर स्थानापन्न नियुक्ति की जाती है तब एक पद से दूसरे पद तक जाने में व्यतीत कार्य ग्रहण काल की अवधि उस पद में सेवा के लिए मान्य की जायेगी, जिस पद का वेतन वह उस अवधि में प्राप्त करता है।

(4) एक पद पर स्थानापन्न रहते हुए प्रशिक्षण पर अथवा शिक्षा के पाठ्यक्रम पर जाता है तथा प्रशिक्षणाधीन रहते हुए कर्तव्य पर माना जाता है तो उस प्रकार की सेवा की अवधि उस पद में वेतन वृद्धि के लिये संगणित की जावेगी जिस पद से वह प्रशिक्षण अथवा शिक्षा पाठ्यक्रम पर भेजा गया था। यदि उस अवधि में उसे स्थानापन्न पद का वेतन दिया गया हो।

(5) मूल नियम 15 (अ) में संदर्भित कम वेतन वाले पद के अतिरिक्त अन्य पद की सेवा चाहे मौलिक रूप में हो या स्थानापन्न रूप में वेतन वृद्धि के लिये जोड़ी जाएगी

(6) भारत के बाहर प्रतिनियुक्ति काल की सेवा जोड़ी जाएगी।

(7) असाधारण अवकाश को छोड़कर, सभी प्रकार के अवकाश की अवधि उस पद पर लागू समयमान में वेतन वृद्धियों के लिये गणना में ली जायेगी जिस पद पर शासकीय सेवक धारणाधिकार रखता है। इसी प्रकार उस पद पर अथवा अन्य पदों पर लागू समयमान में भी जिस पर उसका धारणाधिकार होता, यदि उसका धारणाधिकार निलंबित न किया गया होता, वेतन वृद्धियों के लिये गणना में लिया जायेगा।

(8) चिकित्सा प्रमाण-पत्र के आधार पर लिया गया असाधारण अवकाश जोड़ा जाएगा।

(9) भारत के बाहर प्रतिनियुक्ति की अवधि उस पद पर लागू समयमान में वेतन वृद्धि के लिये गणना में ली जावेगी जिस पद पर अवकाश पर जाने अथवा भारत के बाहर प्रतिनियुक्ति पर जाने के समय स्थानापन्न है।

(10) यदि कोई शासकीय सेवक एक पद पर स्थानापन्न अथवा अस्थाई पद को धारण करते हुए किसी अन्य उच्च पद पर स्थानापन्न अथवा अस्थाई तौर पर नियुक्त किया जाता है और यदि निम्न पद पर पुनः पदावनत किया जाता है अथवा उसी समयमान में किसी अन्य पद पर नियुक्त अथवा पुनर्नियुक्त किया जाता है तो उच्च पद में उसकी स्थानापत्र अथवा अस्थाई सेवा ऐसे निम्न पद पर लागू समयमान में वेतन वृद्धि के लिए मान्य होगी।

(11) संवर्ग से बाहर के पद से अपने मूल संवर्ग में प्रत्यावर्तित होने पर किसी ऐसे पद पर नियुक्त किया जाता है जिसका वेतनमान संवर्ग के बाहर के पद के वेतनमान से भिन्न है तो संवर्ग के बाहर उच्च पद पर समयमान में की गई सेवाएं संवर्ग पद पर लागू वेतनमान में वेतन वृद्धि हेतु गणना में ली जावेंगी।

(12) बाह्य सेवा।

(13) पद ग्रहण काल। [मूल नियम 26]

3. वेतन वृद्धि हेतु गणना में न ली जाने वाली अवधियां

1. बिना चिकित्सा आधार पर लिये गये असाधारण अवकाश की अवधि :
   परन्तु राज्य शासन की अनुमति से ऐसा असाधारण अवकाश जो शासकीय कर्मचारी के नियंत्रण से बाहर था या तकनीकी अध्ययन के लिए लिया गया था, वेतन वृद्धि के लिए मान्य किया जा सकता है। [मूल नियम 26]
2. स्वीकृत अवकाश से अधिक ठहरना, जिसे नियमित नहीं किया गया तथा अकार्य दिवस (Dies-non) माना गया है। [अवकाश नियम 24]
3. मूल नियम 15 (अ) के अनुसार कम वेतन वाले पद पर की गई सेवा।
4. नियमित न किया गया निलम्बन काल।

25

वेतन के अलावा भत्ते
(ALLOWANCES OTHER THAN SALARY)

छत्तीसगढ़ शासन में पदस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों को भत्ते की पात्रता -

छत्तीसगढ़ शासन में पदस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों को सचिवालय भत्ता, विशेष वेतन, गृह भाड़ा भत्ता एवं कन्वेयंस भत्ता निम्नानुसार देने का निर्णय लिया गया है :-

1. सचिवालय भत्ता उसी प्रकार देय होगा जैसा कि मध्य प्रदेश में सचिवालय भत्ता दिया जाता है।
2. सचिवालय में पदस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों को विशेष वेतन भी उसी अनुसार देय होगा जैसा कि मध्य प्रदेश में देय है।
3. वाहन भत्ता भी तृतीय श्रेणी एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को ही प्राप्त होता रहा है, उन्हें उसी दर से प्राप्त होगा जैसा कि भोपाल में प्राप्त होता रहा है। यह केवल सचिवालयीन कर्मचारियों के लिए देय होगा।
4. गृह भाड़ा भत्ता एवं नगर क्षतिपूर्ति भत्ता उसी दर से देय होगा जिस दर से रायपुर नगर के लिए प्रभावशील है।

[छत्तीसगढ़ शासन, वित्त वाणिज्यिक कर, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी, 20 सूत्रीय क्रियान्वयन विभाग क्रमांक एफ-1-22/2000/वित्त/सी/चार, दिनांक 4-12-2000]

छत्तीसगढ़ में कर्मचारियों को देय भत्ते

1. गृह भाड़ा-भत्ता

(1) किन्हें गृह भाड़ा भत्ते की पात्रता- गृह भाड़ा भत्ता उन कर्मचारियों को मिलता है जिन्हें सरकार ने कोई मकान रहने के लिये नहीं दिया है। किराये की रसीद भी नहीं देना पड़ती है केवल निर्धारित प्ररूप पर एक घोषणा पत्र देना होता है। निजी मकान में रहने वालों को भी मकान किराया भत्ता मिलता है। पत्नी के मकान में अथवा बच्चों के मकान में या माता-पिता के मकान में रहने पर भी मकान किराया भत्ता देय है।

शासकीय सेवक यदि शासन द्वारा आवंटित मकान स्वेच्छा से इंकार कर स्वयं के मकान में रहे अथवा शासकीय सेवक यदि आवंटित सरकारी आवास को खाली कर स्वयं के मकान में रहने चला जाए तो भी गृह भाड़ा भत्ते का वह हकदार होगा। स्वयं के मकान के बजाय किराये के आवास में भी रहना चाहे तो रह सकता है, उसे भी मकान किराया भत्ते की पात्रता होगी। किन्तु यह सुविधा उन्हें उपलब्ध नहीं होगी जिन्हें नियमानुसार निःशुल्क आवास की पात्रता है और उन्हें ऐसा आवास उपलब्ध कराया गया है। यदि शासन उन्हें ऐसा आवास उपलब्ध नहीं करा पाता है तो ही उन्हें गृह भाड़ा भत्ते की पात्रता होगी।

इसी प्रकार यदि किसी कर्मचारी को सरकारी आवास ear-marked है (किराया रहित अथवा किराया सहित) और वह उसे आवंटित किया जाता है तो उसे वह आवास गृह अनिवार्यतः लेना होगा अन्यथा उसे किसी प्रकार के गृह भाड़ा भत्ते की पात्रता नहीं होगी।

(2) किन्हें पात्रता नहीं- (i) ऐसे सभी शासकीय सेवक जिन्हें बाजार दर पर आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त होता है।

(ii) समस्त अस्थाई सेवक जिनका वेतन चालू बाजार दर पर निर्धारित होता है।

(iii) ऐसे सभी शासकीय सेवक जो अनुसूचित क्षेत्रों में पदस्थ है, तथा वहां स्वीकृत दरों पर गृह भाड़ा भत्ता प्राप्त कर रहे है।

(iv) यह भत्ता उन्हें देय नहीं होगा, जिन्हें भाड़ा मुक्त आवास की सुविधा उपलब्ध की गई है अथवा ऐसी सुविधा के बदले मकान किराया भत्ता दिया जाता है (जैसे पुलिस विभाग में)।

(v) अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी।

(3) वेतन से आशय - वेतन में सम्मिलित है, मूल वेतन, विशेष वेतन तथा व्यक्तिगत वेतन, यदि कोई हो।

(4) अन्य शर्तें- (i) यह भत्ता बिना किराये की रसीद प्रस्तुत किये देय होगा।

(ii) यह भत्ता केवल उन्हें ही देय होगा जो उसी शहर या कस्बे में रह रहे है, जहां उनका कार्यालय अवस्थित है।

(5) अवकाश काल में भत्ते की पात्रता- (i) असाधारण अवकाश को छोड़कर सभी प्रकार के अवकाश काल के दौरान यह भत्ता आहरित किया जा सकता है।

(ii) अवकाश काल में यह अवकाश वेतन की दर पर आधारित होगा।

(6) निलंबन काल में भत्ते की पात्रता- (i) निलंबन काल में इसका नियमन मूल नियम 53 (1) (b) के अनुसार किया जायगा।

(ii) यदि सक्षम अधिकारी के द्वारा लोक हित में किसी शासकीय सेवक का मुख्यालय निलंबन अवधि में बदल दिया जाता है तो नये मुख्यालय पर वहां की दर से देय होगा, बशर्ते वह वांछित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करे।

(7) नव नियुक्त या सेवा से हटने वाले कर्मचारियों के मामले में - उन व्यक्तियों के मामले में जहां कोई किसी माह के दौरान नियुक्त किया गया है, सेवा से निकाल दिया गया है या जिसने त्याग-पत्र दे दिया है, तो गृह भाड़ा भत्ते की पात्रता उतने दिनों के लिए ही होगी जितने दिन उसने कार्य किया है।

(8) स्थानान्तरण के मामले में - व्यक्ति जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानान्तरण पर आये है, उपस्थिति दिनांक से या पद का भार त्यागने के दिनांक तक पात्रतानुसार भत्ते के पात्र होंगे।

(9) एक ही माह में भिन्न दर पर वेतन होने पर भत्ते की गणना - यदि कोई किसी माह में भिन्न दरों से वेतन प्राप्त करता है तो भत्ते की पात्रता वेतन के दर पर आधारित होगी अर्थात् जिस दर से जितने दिन का वेतन लिया उस वेतन की दर पर भत्ता मिलेगा।

(10) परिवार में एक से अधिक सदस्य होने की स्थिति में - (i) यदि परिवार के एक से अधिक सदस्य (उदाहरणार्थ पति, पत्नी, पुत्र, साली इत्यादि) शासकीय सेवक है तथा एक ही मकान में रहते हैं चाहे वह किराये पर लिया गया हो या स्वयं का हो, गृह भाड़ा भत्ता उनमें से केवल एक को ही देय होगा। यदि मकान किराये पर लिया गया है तो भत्ता उसी को मिलेगा जिसने मकान को किराये पर लिया है, तथा स्वयं के मकान के बारे में भवन के स्वामी को। यदि मकान को परिवार के ऐसे सदस्य के द्वारा किराये पर लिया गया है जो शासकीय सेवक नही है तो किसी को भत्ते की पात्रता नहीं होगी। यदि भवन का स्वामी परिवार का ऐसा सदस्य है जो शासकीय सेवा में नहीं है तो किराया किसी भी शासकीय सेवक के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है।

(ii) जहां परिवार के एक से अधिक सदस्य जो कि सभी शासकीय सेवक है, उस मकान में एक साथ रहते है जिसे सभी ने मिलकर अधिगृहीत किया है, गृह भाड़ा भत्ता किसी एक के द्वारा लिया जा सकता है।

(iii) एक ही परिवार के सदस्य जो एक साथ एक ही मकान में रहते है, उनमें से कोई एक शासकीय सेवक हो तथा दूसरा कोई शासकीय संस्था/संघ/निगम/मंडल/बैंक कर्मचारी है, तो उनमें से किसी एक को ही भत्ते की पात्रता होगी।

(11) पुनर्नियुक्त पेंशनभोगी के मामले में - (i) पुनर्नियुक्त पेंशनभोगी के मामले में जिसे वेतन के साथ-साथ पेंशन आहरित करने की अनुमति है, इस भत्ते का पात्र होगा। ऐसे सभी मामलों में भत्ते की गणना निम्नानुसार रीति से की जावेगी:-

(अ) भत्ते की गणना वेतन + पेंशन पर की जायगी।

(ब) इस गणना के प्रयोजनार्थ पेंशन संराशिकरण के पूर्व की पेंशन ली जायगी। यदि पुनर्नियुक्ति की शर्तों के मुताबिक पेंशन के किसी अंश को स्थगित किया गया है तो वह कम होगा।

(ii) कोई शासकीय सेवक जो किसी विदेशी सरकार (बर्मा, सीलोन, पाकिस्तान) से राज्य सरकार से प्राप्त वेतन के अलावा पेंशन प्राप्त कर रहा है, वह राज्य सरकार से केवल वेतन के आधार पर भत्ता प्राप्त करेगा।

(12) स्वीकृति हेतु सक्षम प्राधिकारी - जिनका वेतन स्थापना वेतन देयकों पर आहरित होता है, आहरण एवं संवितरण अधिकारी (दोनों के लिए चाहे राजपत्रित हों या अराजपत्रित)।

(13) स्वीकृति की प्रक्रिया - जो किराये के मकान में रह रहे है, वे प्रपत्र - "अ" पर तथा जो स्वयं के मकान में रह रहे हैं वे प्रपत्र- "ब" में एक घोषणा पत्र प्रस्तुत करें।

(14) भुगतान की विधि - यह भत्ता प्रत्येक माह वेतन के साथ निकाला जाता है।

(15) भत्ते की दरें - भत्ते की दरें राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की गई है। दिनांक 1 अप्रैल, 2005 से निम्नानुसार दरें निर्धारित की गई हैं। यह दरें छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक 151/सी-133/2005/वि/नि/चार, दिनांक 19-4-2005 द्वारा घोषित की गई है :-

क्र.	नगरों का वर्गीकरण	नगरों का नाम	गृह भाड़ा भत्ते की दर (मूल वेतन का)
1.	बी-2 श्रेणी	रायपुर, दुर्ग-भिलाई नगर	10 प्रतिशत
2.	सी श्रेणी	बिलासपुर, कोरबा, राजनान्दगांव, जगदलपुर, रायगढ़, चिरमिरी, दल्ली-राजहरा, अम्बिकापुर, धमतरी, भाटापारा [1][चांपा एवं जांजगीर]	7 प्रतिशत
3.	अन्य क्षेत्र	-	4 प्रतिशत

टिप्पणी- 1. गृह भाड़ा भत्ते की गणना के लिए वेतन से तात्पर्य नवीन पुनरीक्षित वेतनमान, 1998 में प्राप्त मूल वेतन से है। नगर की सीमा वर्ष 2001 की जनगणना को मान्य किया जाए।

2. ये आदेश यू.जी.सी. तथा ए.आई.सी.टी.ई. वेतनमानों में वेतन प्राप्त करने वाले तथा कार्यभारित एवं आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों की सेवा के सदस्यों पर भी लागू होंगे।

1. वित्त एवं योजना विभाग के आदेश क्र. 471/सी-133/वित्त/नियम/चार/2005, दिनांक 5-12-05 द्वारा जोड़ा गया तथा 1-1-06 से लागू।

यह दर दिनांक 1-4-1995 से प्रभावशील है।

[सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक एफ. 4-1/वे.आ.प्र./95, दिनांक 18/27-7-1995]

15. महंगाई भत्ते की ग्राह्यता

(1) अवकाश अवधि में- अवकाश अवधि में महंगाई भत्ते की पात्रता होगी, चाहे ऐसा अवकाश भारत में या भारत के बाहर व्यतीत किया जा रहा हो। लेकिन असाधारण अवकाश के दौरान महंगाई भत्ते की पात्रता नहीं होगी, क्योंकि इस अवधि में कोई वेतन प्राप्त नहीं होता है। इस प्रकार अवकाश अवधि में जो अवकाश वेतन होगा उसी के आधार पर महंगाई भत्ता प्राप्त होगा। यदि अर्ध वेतन अवकाश है तो आधा वेतन मिलेगा और इस आधे वेतन पर जो महंगाई भत्ता संगणित होता वह मिलेगा। पूर्ण महंगाई भत्ते को आधा नहीं किया जायगा।

(2) निलंबन काल में- महंगाई भत्ते की पात्रता होगी। गणना निर्वाह भत्ते की बढ़ी हुई राशि पर या कम की गई दर के आधार पर की जायेगी। [मूल नियम 53 (1) (i) (बी)]

(3) कार्यग्रहण काल में- कार्यग्रहण काल में जो वेतन प्राप्त होगा, उस आधार पर महंगाई भत्ते की पात्रता होगी।

(4) भारत के बाहर प्रतिनियुक्ति अवधि में- यदि ऐसी अवधि 6 माह से अधिक नहीं है तो वही वेतन एवं महंगाई भत्ता प्राप्त होगा जो ऐसी प्रतिनियुक्ति पर प्रस्थान नहीं किया गया होता तो प्राप्त होता। 6 माह से अधिक अवधि में भी दिया जा सकता है, यदि उसने एक से अधिक देशों में काम किया हो लेकिन एक ही देश में 6 माह से अधिक नहीं ठहरा हो।

(5) बाह्य सेवा के दौरान- इस अवधि में शासकीय सेवक बाह्य सेवा के आधार पर बाह्य नियोजक से वेतन के आधार पर महंगाई भत्ता प्राप्त करेगा। लेकिन वह उससे अधिक नहीं होगा जो एक शासकीय सेवक को ग्राह्य है।

(6) माह के मध्य किसी दिनांक को सेवा में नियुक्त होने पर, सेवा से निकाले जाने पर या त्यागपत्र देने पर महंगाई भत्ते की गणना- जितने दिनों का वेतन दिया जायगा उतने दिनों का महंगाई भत्ता दिया जायेगा। दर पूरे माह की ध्यान में रखी जायेगी।

(7) एक ही माह में वेतन की दर अलग-अलग होने पर- महंगाई भत्ता टुकड़ों में निर्धारित किया जायगा अर्थात् जितने दिन का वेतन जिस दर से दिया जा रहा है, उस पर जो महंगाई भत्ते की दर आये, वह प्राप्त होगा।

(8) यदि पति/पत्नी दोनों शासकीय सेवक हों- तो महंगाई भत्ता दोनों को ही पृथक्-पृथक् उनके वेतन के आधार पर प्राप्त होगा।

(9) पुनर्नियुक्त शासकीय सेवक- जो वेतन के साथ-साथ पेंशन प्राप्त करते रहेंगे, उनके मामले में पेंशन पर राहत की पात्रता उन्हें नहीं होगी। वे वेतन + पेंशन के योग पर पुनर्नियुक्ति के दौरान महंगाई भत्ता प्राप्त करेंगे। यदि वेतन + पेंशन का योग वेतनमान के अधिकतम से अधिक हो जाए तो महंगाई भत्ता अधिकतम पर ही गणन किया जायगा।

(10) महंगाई भत्ता वेतन पर गणन किया जाता है। इसकी दर राज्य शासन द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जाती है। वेतन से आशय मूल वेतन, विशेष वेतन तथा व्यक्तिगत वेतन होगा। जैसा कि मूल नियम 9 (21) में परिभाषित है।

[वित्त विभाग क्रमांक 1264/1679/चार/आर-11, दिनांक 8-7-1957]

(ख) अपने स्थाई निवास के ग्राम या नगर से कम से कम 20 किमी दूर पदस्थ हों।

7. अनुसूचित क्षेत्र भत्ता

क्र.	वेतन रेंज	प्रथम श्रेणी	द्वितीय श्रेणी	तृतीय श्रेणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		रु.	रु.	रु.
1.	रुपये 2600/- प्रतिमाह तक	120/-	80/-	40/-
2.	रुपये 2601/ से 3000/- प्रतिमाह तक	180/-	120/-	60/-
3.	रुपये 3001/- से 4600/- प्रतिमाह तक	240/-	160/-	80/-
4.	रुपये 4601/- से 5900/- प्रतिमाह तक	300/-	200/-	100/-
5.	रुपये 5901/- से 7100/- प्रतिमाह तक	360/-	240/-	120/-
6.	रुपये 7101/- से 10000/- प्रतिमाह तक	450/-	300/-	150/-
7.	रुपये 10000/- से अधिक	600/-	400/-	200/-

छत्तीसगढ़ शासन, वित्त एवं योजना विभाग क्रमांक 218/सी-235/वित्त/नियम/चार/2006, दिनांक 29 जून, 2006 द्वारा दरें घोषित की गईं। ये संशोधित दरें दिनांक 1-7-2006 से लागू। म.प्र. शासन, वित्त विभाग के ज्ञाप दिनांक 11-3-96 की अन्य शर्तें यथावत् लागू रहेंगी।

अन्य शर्तें–

इन आदेशों के अन्तर्गत देय निश्चित अनुसूचित क्षेत्र भत्ता परिशिष्ट "अ" अनुसार वर्गीकृत विकास खण्डों में देय होगा।

2. उपरोक्त पुनरीक्षण के फलस्वरूप यदि किसी कर्मचारी को पूर्व की तुलना में कम राशि प्राप्त होती है तो उसे पूर्व में प्राप्त हो रही राशि के बराबर राशि प्राप्त करने की पात्रता होगी।

3. विकास खण्डों के परिशिष्ट "अ" अनुसार वर्गीकरण के फलस्वरूप जो विकास खण्ड इन आदेशों के अन्तर्गत अनुसूचित क्षेत्र विशेष भत्ता प्राप्त करने के लिये अपात्र हो गये हैं, उन विकास खण्डों को एक पृथक् श्रेणी के रूप माना जाकर वहां पदस्थ कर्मचारियों को वर्तमान दर से देय भत्ते की सीमा पर सीमित करते हुए यह भत्ता प्राप्त करने की पात्रता होगी।

4. अनुसूचित क्षेत्रों में उपलब्ध अन्य सुविधायें पूर्ववत रहेंगी।

[वित्त विभाग ज्ञापन क्रमांक एफ-आर-17-01/96/चार/ब-9, दिनांक 11-3-1996]

इन आदेशों के अन्तर्गत देय विशेष भत्ता केवल उन्हीं शासकीय कर्मचारियों/अधिकारियों को देय होगा जो अपने गृह नगर/ग्राम से 8 (आठ) कि.मी. से अधिक दूरी पर पदस्थ हों। परन्तु आवास गृह भत्ता सभी कर्मचारियों को देय होगा भले ही वे अपने गृह नगर/ग्राम से 8 कि.मी. के अन्दर ही पदस्थ हों।

गृह नगर/ग्राम वही माना जावेगा जो कर्मचारी द्वारा दिनांक 11-1-84 से पूर्व घोषित किया गया है। साथ ही गृह नगर/ग्राम से आशय न केवल घोषित गृह नगर/ग्राम से है वरन् ऐसे स्थान से भी है जहां कर्मचारी ने अपने अथवा अपने परिवार के किसी सदस्य के नाम अचल सम्पत्ति (भूमि अथवा भवन) अर्जित कर ली हो।